न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2014

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्रीमती पदमा देवी

1. कमला पुत्री भागीरथ
2. काली पुत्री भागीरथ
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।

––प्रार्थीयागण

बनाम

1. जवाहरसिंह पुत्र भागीरथ
2. शंकर पुत्र भागीरथ
3. सायरी पुत्री भागीरथ
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।
4. जगजीतसिंह मुच्छल पुत्र हरबंस सिंह मुच्छल जाति सिक्ख निवासी प्रकाश रोड, अजमेर।
5. उप पंजीयक महोदय, अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

––अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री रामसुख चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीयागण।
2. श्री अजीत सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 03.12.2024

प्रार्थीयागण मय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्किंग आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 3–01–10 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 353 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, वर्किंग खसरा नम्बर 8 रकबा 1–18–00 बीघा के हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय के खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा थे उक्त खातेदार का स्वर्गवास होना व्यक्त करते हुए कथन किया कि उक्त मृतक खातेदार काश्तकार के हम प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकित परिवार सजारा अनुसार हम उक्त खातेदारी के कुल 7 सदस्य उत्तराधिकारी थे जिनमें से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की माता श्रवणी देवी का स्वर्गवास होना कथन किया एवं एक भाई धन्ना पुत्र भागीरथ का नाओलाद फौत होना अंकन कर कथन किया कि हम उक्त मृतक खातेदार काश्तकार के 5 उत्तराधिकारी शेष मौजूद है तथा उक्त दोनों मृतकगण का विवादित आराजी में जो हक व हिस्सा था वह प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण सं 1 से 3 में विधिनुसार बराबर–बराबर निहित हो गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा के स्वर्गवास होने पर विरासती नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 02.12.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर

000 से प्रार्थीगण को वंचित रखते हुए मृतक की पत्नि श्रवणीदेवी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा एक पुत्र धन्ना पुत्र भागीरथ के नाम अवैधानिक रूप से अंकन करवा ली तथा खातेदारी काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा की पत्नी श्रवणीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा एक पुत्र धन्ना पुत्र भागीरथ का भी नाओलाद स्वर्गवास हो चुका है उक्त दोनों श्रवणी देवी एवं धन्ना की विरासत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने केवल मात्र अपने नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 29.04.2005 के माध्यम से अपने नाम विरासत गलत अंकन करवा ली। प्रार्थीयागण भी उक्त मृतकगण की विधिक वारिसान होकर हिन्दु–उत्तराधिकार अधिनियम में अंकित प्रावधानों अनुरूप प्रार्थीयागण के भी वादग्रस्त आराजीयात में हक व अधिकार निहित है किन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने गलत व अवैधानिक अंकन करवाकर वादग्रस्त आराजी में अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि अप्रार्थी संख्या 4 को अन्तरित (बैचान जरिये मुख्त्यार) की है। उक्त बैचान प्रार्थीयागण के हक व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर योग्य है क्योंकि प्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार की जाईन्दा पुत्रियां होकर विरासत के आधार पर हमारा हक व अधिकार निहित है। जिसका निर्धारण उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत वाद पत्र उद्घोषणा खातेदारी बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा में बाद साक्ष्य सबूत के होना शेष है ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने, रिकार्ड में परिवर्तन करवाने, जबरन अतिक्रमण करने, अन्यत्र रहन–बेचान मुन्तकिल करने से ताफैसला पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया। उक्त कथनों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थीयागण के निवेदन पर इनका जवाब बन्द किया तथा अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मुख्त्यार आम के द्वारा हमें दिनांक 23.08.2006 को विक्रय करना तथा अपने आपको सदभावी क्रेता बताते हुऐ कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी दुर्भिसंधी की है। बरवक्त बेचान मुझे मुख्तयार आम ने मृतक खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा के विक्रेता गण के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिसान से स्पष्ट नहीं किया। मैं वादग्रस्त आराजी का सदभावी क्रेता होकर उक्त विक्रय पत्र की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 23.01.2007 के माध्यम से मेरे नाम अंकन तो हो चुका था किन्तु अप्रार्थी संख्या 6 ने बिना किसी आधार विवादित आराजी पुनः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा धन्ना वल्द भागीरथ के नाम कर दिया उक्त अंकन की जानकारी होने पर राज्य सरकार व अन्य के विरूद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करना व्यक्त कर कथन किया की उक्त वाद पत्र से इन्द्राज बाबत अंकन होने से शेष है तथा अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में मुख्य कथन किया की वह सदभावी क्रेता है, बरवक्त बेचान मुख्त्यार आम ने भी मृतक खातेदार काश्तकार के अन्य विधिक वारिसान बाबत कोई कथन स्पष्ट नहीं किये जाने तथा प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण आपस में मिले हुए होने से वाद पत्र व प्रार्थना पत्र काल–बाधित होने से खारिज करने के कथनों के साथ जवाब प्रस्तुत किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी जिस पर प्रार्थीयागण अभिभाषक ने मुख्यतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो की पुरावर्ती करते हुए कथन किया कि हम मृतक खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा की जाईन्दा पुत्रियां है। जो वादपत्र/अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के संलग्न पैरा संख्या 3 में अंकित मृतक खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा के परिवार का सजरा अंकित किया है। उक्त परिवार सजरा के समर्थन ने वार्ड पार्षद नगर निगम ... संख्या 39 के पार्षद द्वारा उक्त परिवार के सजरा को प्रमाणित किया है। जिसका

खण्डन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया जिससे प्रथम दृष्टया सिद्ध है कि प्रार्थीयागण मृतक खातेदार काश्तकार की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होकर वादग्रसत आराजी में स्वत्व व अधिकार निहित है तथा कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने द्वारा वादग्रस्त आराजी मुख्त्यारआम के माध्यम से क्रय कर अपने आप को सदभावी क्रेता बताकर आ रहा है इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं मूलवाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 क्रमशः जवाहर सिंह व शंकरलाल पुत्रगण स्व. श्री भागीरथ जाति गुर्जर के स्वतंत्र रूप से पक्षकार बनाकर प्रकरण प्रस्तुत किया है अर्थात यदि उक्त जवाहरसिंह व शंकरलाल का मुख्त्यार आम श्री महेन्द्र सैन पुत्र पुसाराम सैन की वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की है, उसे उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया उसका पक्ष क्यो माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया। अप्रार्थी वास्तविक तथ्य छुपाकर आ रहें है, जो जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी स्थिति स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर उक्त तथाकथित क्रेता तथा इनके मुख्तयारआम का कब्जा काश्त न तो पूर्व में था तथा ना ही आज दिन तक क्रेता का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त ही नही है। जिस कारण इनका प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सिद्ध नहीं होता तथा विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि नामान्तकरण से किसी भी पक्षकार के हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है, नामान्तकरण से केवल यह निश्चित किया जाता है कि संबंधित भूमि का राजस्व (लगान) देने हेतु उतरदायी कौन है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीयागण के पक्ष में है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण का पाबन्द फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक महोदय ने प्रार्थीयागण अभिभाषक द्वारा की गई मौखिक बहस एवं प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में लिए गए आधारों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं0 4 सदभावी क्रेता है प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने आपस में दुर्भीसंधि कर रखी है जबकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मुख्तयारआम महेन्द्र सैन पुत्र श्री पूसाराम सैन ने मुझ क्रेता को उक्त भूमि बैचान की है तथा उस वक्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा के अन्य विधिक वारिसान का कहीं भी अंकन नहीं है, प्रार्थीयागण अपने आपको सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य से मृतक खातेदार काश्तकार के प्रथम श्रेणी के वारिसान सिद्ध करें तथा कथन किया कि विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम नामान्तकरण सं0 184 दिनांक 23.01.2007 को अन्तरण के आधार पर अंकन हो गया किन्तु राजस्व विभाग ने बिना सुनें, बिना किसी सक्षम आदेश के वादग्रस्त आराजी पुनः विक्रेतागण अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा धन्ना पुत्र स्व0 भागीरथ के नाम गलत व अवैधानिक रूप से अंकन की गई है, जिस हेतु क्रेता ने वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 व 2 तथा राजस्थान सरकार इत्यादी के प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर पुनः क्रेता/अप्रार्थी सं0 4 के नाम खातेदार घोषित करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने हेतु मूलवाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र महज प्रार्थी सं0 4 को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत करवाया है। वाद पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र काल बाधित होना कथन करते हुए कथन किया कि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू मुझ क्रेता के पक्ष में है, अतः प्रार्थीयागण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय तर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावें तथा क्रेता द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमायें जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अंकित कथनों का अध्ययन व मनन करने के बाद बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :— प्रार्थीयागण ने विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा जाति गुर्जर की अपने आपको जाईन्दा पुत्रियां होने के आधार पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीयागण प्रत्येक ने अपना 1/5, 1/5 हक व हिस्सा प्राप्त करने बाबत् वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के माध्यम से वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाही है। उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2041 की खाता सं0 205 नयी में अंकित खसरा नं0 7 रकबा 3—01—10 बीघा तथा खसरा नं0 8 रकबा 1—18—00 बीघा भूमि कृषक के कॉलम में भागीरथ पुत्र बिरदा के नाम अंकित है। उक्त कृषक के स्वर्गवास पर विरासती नामा. संख्या 74 दिनांक 02.12.2000 को मृतक खातेदार भागीरथ के स्थान पर क्रमशः श्रवणी देवी पत्नि भागीरथ, धन्ना, जवाहर सिंह व शंकरलाल पुत्र भागीरथ कौम गुर्जर के अंकन किया गया तथा उक्त अंकन में अंकित मु0 श्रवणी देवी व धन्ना की विरासत जरिये नामान्तकरण सं0 132 दिनांक 29.04.2005 से उक्त भूमि जरिये विरासत जवाहर सिंह व शंकरलाल के नाम अंकन की गई उक्त अंकन के पश्चात् बैचान के आधार पर नामान्करण संख्या 184 दिनांक 23—01—2007 से अप्रार्थी सं 4 के नाम अन्तरित हुई है तथा वर्तमान आधार जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल से उक्त भूमि पुनः अप्रार्थी सं. 1 व 2 जवाहर सिंह व शंकरलाल व धन्ना पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त अंकन सही है या नहीं इसका निर्धारण मूलवाद पत्र में उभय पक्ष की साक्ष्य सबूत लेने व परीक्षण उपरान्त ही मूलवाद पत्र का निस्तारण किया जावेगा। अतः प्रकरण में यह स्थिति उभर कर आयी है कि प्रार्थीयागण मृतक खातेदार काश्तकार भागीरथ पुत्र बिरदा की पुत्रियां है इसके समर्थन में अपने परिवार का सजरा प्रमाण पत्र से स्पष्ट है उक्त सजरा पारिवारिक सजरे एवं पार्षद द्वारा जारी सजरे का अप्रार्थीगण ने ना तो अपने जवाब प्रार्थना पत्र में खण्डन किया व ना ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जिसके आधार पर उक्त दस्तावेज असत्य हो तथा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण मृतक खातेदार काश्ताकर की प्रथमदृष्ट्या परिवार की सदस्य होना स्पष्टतया सिद्ध है तथा वादग्रस्त आराजी इनके पिता के नाम अंकित होना जमाबन्दी सम्बत 2041 की खतौनी संख्या 205 नयी से भी स्पष्ट है तथा वर्तमान आधार जमाबन्दी 2069 से 2072 की खाता सं. 179 नया में उक्त आराजी ख.न. 9 रकबा 0.31 हैक्अर व ख.नं. 353 रकबा 0.50 हैक्टर भूमी अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ धन्ना पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर के नाम अंकित है उक्त अंकन का परीक्षण मूलवाद में होना शेष है तथा प्रार्थीयागण के लिए उक्त भूमी अपने पिता की विरासत प्राप्त होने के तथ्य का अन्तिम निर्धारण मूलवाद में होना शेष है किन्तु प्रार्थीयागण मृतक खातेदार की पुत्री होना सिद्ध है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीयागण के पक्ष में है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार की जाईन्दा पुत्रियां होकर मौके पर अपना कब्जा काश्त बताकर आ रही है इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कही भी स्पष्ट नहीं किया कि उसका बैनामा के आधार पर उसने मौके पर कब्जा काश्त प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन, बैचान व मुन्तकिल करने तथा अप्रार्थी सं0 4 जो कि अजनबी क्रेता है विधिनुसार बटवारा करवाने से पूर्व यदि प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में दखल करने तथा जबरन प्रवेश करने से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. सुविधा का सन्तुलनः— उक्त बिन्दू के समर्थन में प्रार्थीयागण ने अपने कथनों के समर्थन से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

यदि उक्त अंकन क आधार पर अप्रार्थीगण वाद पत्र के निस्तारण से पूर्व भूमि का विकय या अन्य कोई अन्तरण करते है तो अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत हो रही है ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दू प्रार्थीयागण के पक्ष में निर्धारित किया जाना उचित है।

3. अपूरणीय क्षतिः– उपरोक्त प्रकरण में वाद परीक्षण दोनों बिन्दुओं का निर्धारण प्रार्थीयागण के पक्ष में किया जा चुका है यदि मूलवाद के विचाराधीन रहते वाद वस्तु को सुरक्षित नहीं रखा गया तो भूमि का उतरोतर अन्तरण होगा जिससे वाद बाहुल्यता बढेगी जिससे अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीयागण को क्षति होने की संभावना ज्यादा प्रबल है ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु इसी आधार पर प्रार्थीयागण के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर स्पष्ट है, कि अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु बहक प्रार्थीयागण विरूद्ध अप्रार्थीगण साबित होते है। अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करना विधिसंगत व उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्किंग आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 3–01–10 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 353 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, वर्किंग खसरा नम्बर 8 रकबा 1–18–00 बीघा के हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि का अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से बेचान, हस्तांतरण आदि न करें तथा प्रार्थीयागण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी व बाधाएँ उत्पन्न नही करें। वाद फैसला तक उक्त खसरे पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थितिबनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल–ए–दफ्तर हो।

(पदमा देवी)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(पदमा देवी)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
अजमेर